

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
इंदिरा गांधी विधान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462004

क्रमांक 16525/म.प्र.वि.स./स्था./2022

भोपाल, दिनांक 10/10/2022

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाइपिस्ट एवं सुरक्षा गार्ड के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाइपिस्ट एवं सुरक्षा गार्ड के रिक्त पद पर भर्ती हेतु पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में दिनांक 10 नवम्बर, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित है:-

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान (वेतन मेट्रिक्स/ लेवल)
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	सहायक ग्रेड- 3	09	04	09	13	05	-	40	19500- 62000 लेवल-4
2.	स्टेनोटाइपिस्ट	-	02	-	-	-	-	02	19500- 62000 लेवल-4
3.	सुरक्षा गार्ड	03	02	03	04	01	-	13	19500- 62000 लेवल-4

विस्तृत विज्ञापन, पात्रता की शर्तें, ऑनलाइन आवेदन की तिथि, विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/ तकनीकी/ शारीरिक अर्हताएं, प्रक्रिया आदि अन्य विवरण मध्यप्रदेश विधान सभा की वेबसाइट <https://mpvidhansabha.nic.in> पर उपलब्ध है।


10/11/2022

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
इंदिरा गांधी विधान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462004

क्रमांक 16525/ वि.स./ स्था./2022

भोपाल, दिनांक 10/10/2022

सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाइपिस्ट, सुरक्षा गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञापन

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के अधीन सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाइपिस्ट एवं सुरक्षा गार्ड के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र विधान सभा सचिवालय की वेबसाइट <https://mpvidhansabha.nic.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं।

कार्यक्रम

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	11 th अक्टूबर, 2022
आवेदन भरने / पंजीयन की अंतिम तिथि	10 th नवंबर, 2022
ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	10 th नवंबर, 2022
आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अंतिम तिथि	10 th नवंबर, 2022

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान (वेतन मेट्रिक्स/ लेवल)
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	सहायक ग्रेड- 3	09	04	09	13	05	-	40	19500- 62000 लेवल-4
2.	स्टेनोटाइपिस्ट	-	02	-	-	-	-	02	19500- 62000 लेवल-4
3.	सुरक्षा गार्ड	03	02	03	04	01	-	13	19500- 62000 लेवल-4

नोट:

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. यह विज्ञापन सचिवालय के भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है।
4. इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन करने का पात्र है किन्तु प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र/ अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है।
5. अभी आवेदन-पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है।
6. फोटो एवं हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है।
7. कम्प्यूटर पर हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी टंकण कार्य में दक्ष एवं अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
8. परीक्षा योजना परिशिष्ट - एक, पाठ्यक्रम परिशिष्ट - दो एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट - तीन में उल्लेखित है।
9. ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/ चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
10. विधान सभा सचिवालय में भर्ती संबंधी पूर्व की कार्यवाही निरस्त की गई है।
11. अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों में भर्ती हेतु ऑनलाइन लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा की तिथि की सूचना यथा-समय पृथक से दी जायेगी।
12. पदों की संख्या में आरक्षण आदि न्यायालयीन निर्णय अनुसार समायोजन योग्य होगा।


10/11/2022

विशेष सूचना -

1. बैंक में शुल्क जमा अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की स्थिति में ही उनका आवेदन-पत्र स्वीकार किया जावेगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
3. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा किया जाना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया जाना अभ्यर्थी का दायित्व है।
4. अभ्यर्थी द्वारा अंकित मोबाइल नम्बर पर सभी सूचनायें/ निर्देश एस.एम.एस. द्वारा प्रेषित किये जा सकेंगे तथा यथावश्यकता ई-मेल, अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित किये जायेंगे।
5. भर्ती से सम्बन्धित निर्देश एवं आवेदन-पत्र आधिकारिक मध्यप्रदेश विधान सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

(1) पद का विवरण एवं वेतनमान :-

i.	पद का नाम	:	सहायक ग्रेड - 3
ii.	रिक्त पद संख्या	:	40 (चालीस)
iii.	श्रेणी	:	तृतीय श्रेणी
iv.	वेतनमान/ वेतन मैट्रिक्स	:	19500-62000, लेवल - 04 इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित वेतन/वेतन मैट्रिक्स लेवल आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
v.	परिवीक्षा अवधि	:	चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

- (I) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हायर सेकेण्ड्री के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

- (II) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी 3-15/2014/1/3, दिनांक 26 फरवरी 2015 में उल्लिखित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट।

- (III) मैप आईटी से सी.पी.सी.टी. प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड)।

(IV) कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइप लेखन में 300 शब्दों का 10 मिनट की अवधि की कौशल परीक्षा ली जायेगी.

(2) पद का विवरण एवं वेतनमान :-

i.	पद का नाम	:	स्टेनोग्राफिस्ट
ii.	रिक्त पद संख्या	:	02 (दो)
iii.	श्रेणी	:	तृतीय श्रेणी
iv.	वेतनमान/ वेतन मैट्रिक्स	:	19500-62000, लेवल - 04 इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
v.	परिवीक्षा अवधि	:	चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं -

(I) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हायर सेकेण्ड्री के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(II) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी 3-15/2014/1/3, दिनांक 26 फरवरी 2015 में उल्लिखित विश्व विद्यालय/ मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र।

(III) मैप आईटी से सी.पी.सी.टी. प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड)।

(IV) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हिन्दी शीघ्रलेखन (स्टेनोग्राफी) में प्रतिमिनट 80 शब्दों की गति.

(V) कम्प्यूटर में 5 मिनट का 80 शब्द प्रति मिनट गति से 400 शब्दों का डिक्टेसन दिया जाएगा, जिसे 25 मिनट की अवधि में टंकित करना होगा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।

(VI) अंग्रेजी टंकण परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की 150 शब्दों की होगी, जो ऐच्छिक रहेगी.

(3) पद का विवरण एवं वेतनमान :-

i.	पद का नाम	:	सुरक्षा गार्ड
ii.	रिक्त पद संख्या	:	13 (तेरह)
iii.	श्रेणी	:	तृतीय श्रेणी
iv.	वेतनमान/ वेतन मैट्रिक्स	:	19500-62000, लेवल - 04 इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
v.	परिवीक्षा अवधि	:	चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं -

(I) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

हायर सेकेण्ड्री के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

आवश्यक शारीरिक अर्हताएं -

(II) पुलिस विभाग में कांस्टेबल के लिए विहित स्वास्थ्य व शारीरिक मापदण्ड -

(4) निर्धारित आयु सीमा : - अभ्यर्थी की आयु सीमा दिनांक 01.01.2022 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो, उच्चतर आयु सीमा में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, महिला अभ्यर्थियों तथा विभागों या निगम/ मंडलों/ स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन मान्य किये जायेंगे। परंतु अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जाना है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/ दिशा निर्देशों के अनुसार रहेगी।

विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-18-85-3-1, दिनांक 3/9/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकेगी। परंतु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्हमान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(6) वांछित दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना - वस्तुनिष्ठ परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली मेरिट आधार पर तैयार की गयी सूची में नाम हो, को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जायेगी।

(A) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतया हाईस्कूल/ हायर सेकेण्ड्री स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टीफिकेट। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(B) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित समस्त वर्ष की अंकसूची।

(C) पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र एवं अन्य अर्हता जो संबंधित पद के लिये आवश्यक है, की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र सचिवालय को ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गयी योग्यता/ अन्य प्रमाण - पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

(D) जाति प्रमाण पत्र -

a. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/ शुल्क/ आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

b. अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों के अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मान्य नहीं किया जाएगा।

(E) आय प्रमाण पत्र -

a. अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, जो आवेदन की तिथि से पूर्ववर्ती तीन वर्ष के

भीतर जारी किया हुआ हो।

- b. इसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र. 1 एक, दिनांक 2 जुलाई, 2019, दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं दिनांक 22 नवम्बर, 2019 में दिये गये निर्देश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-25-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शासकीय नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जायेगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र निर्धारित मापदण्ड अनुसार तहसीलदार से अनिवार्य श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी मान्य किया जायेगा।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

यदि अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन के अधीन शासकीय विभाग/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत/ अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं परन्तु ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" सीधे सचिवालय को भेजने का निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(8) आपराधिक अभियोजन :-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा, जिसे सचिवालय ने निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो -

- जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिये परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो या
- पररूप धारण (इम्पर्सोनेशन) किया हो या
- किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/ किया हो, या
- फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

- vi. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- vii. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- viii. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- ix. प्रवेश-पत्र/ बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गयी किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- x. परीक्षा कक्ष में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- xi. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/ संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी -

- i. सचिवालय द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिये वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और / या
- ii. उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा -
 - a. सचिवालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
 - b. राज्य शासन द्वारा या / उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा और
 - c. यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किये गये उल्लंघन के लिये उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि

- i. अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- ii. अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।


10/11/2012

(9) चयन प्रक्रिया : -

विज्ञापित पदों पर चयन के लिये निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। सचिवालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थी का चयन ऑनलाइन (Online) लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।

टीप : यदि विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जायेगा।

- i. उम्मीदवारों का चयन परिशिष्ट - एक में उल्लेखित परीक्षा योजना के माध्यम से किया जायेगा।
- ii. पाठ्यक्रम परिशिष्ट - दो में प्रकाशित है।
- iii. परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

(10) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क : -

- i. मध्यप्रदेश के मूल/ स्थानीय निवासी, जो कि मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रु. 300/- (रूपये तीन सौ) तथा अनारक्षित श्रेणी के लिए रु. 450/- (रूपये चार सौ पचास) आवेदन शुल्क देय होगा।
- ii. बैंक में शुल्क जमा अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की स्थिति में ही उनका आवेदन-पत्र स्वीकार किया जायेगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- iii. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा किया जाना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया जाना अभ्यर्थी का दायित्व है।

(11) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें / महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation): -

इस विज्ञप्ति में लिखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/ जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा एवं सचिवालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।


10/11/2022
अवर सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

परिशिष्ट - एक
"परीक्षा योजना"

(1) अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार किया जायेगा :-

i. चयन हेतु ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जायेगा:-
वस्तुनिष्ठ परीक्षा - 50 अंक
(मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान एवं कम्प्यूटर ज्ञान)

कौशल परीक्षा - 50 अंक
साक्षात्कार - 15 अंक

ii. ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्तियों के आधार पर विज्ञापित पदों के 10 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा :-

i. ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
ii. परीक्षा के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 04 संभावित उत्तर होंगे, जिन्हें A,B,C,D में समूहीकृत किया जायेगा, जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा। उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये A,B,C,D में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

* किसी प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी।

(3) पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट - दो में दी गयी है।


10/11/2022

परिशिष्ट - दो
"पाठ्यक्रम"

भाग - 1

:: मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान ::

1. मध्यप्रदेश का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्यप्रदेश का योगदान।
2. मध्यप्रदेश का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दृश्यां।
3. मध्यप्रदेश की साहित्य, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।
4. मध्यप्रदेश की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्यौहार।
5. मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. मध्यप्रदेश का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. मध्यप्रदेश में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।
8. मध्यप्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं।

:: GENERAL KNOWLEDGE OF MADHYA PRADESH ::

PART-1

1. History of Madhya Pradesh and contributions of Madhya Pradesh in freedom struggle.
2. Geography, water, mineral resources, climate and physical conditions.
3. Literature, music, dance, art and culture of Madhya Pradesh.
4. Economy, forest and agriculture of Madhya Pradesh.
5. Administrative structure of Madhya Pradesh, local government and Panchayati Raj.
6. Human resources and energy resources in the state.
7. Education, health and contemporary events in the state.

:: कम्प्यूटर ज्ञान ::

भाग - 1

1. कम्प्यूटर - कम्प्यूटर इकाईयां, इनपुट-आउटपुट उपकरण, अन्य उपकरण।
2. सॉफ्टवेयर - सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम.एस.वर्ड, एम.एस. एक्सेल, एम.एस. पावर पॉइंट.
3. कम्प्यूटर भाषाएं
4. इन्टरनेट.

:: COMPUTER KNOWLEDGE ::

PART-2

1. Computer- Computer Units, Input-output devices, other devices
2. Software - System Software, Application Software, M.S. Word, M.S. Excel, M.S. Power Point
3. Computer Languages
4. Internet


10/11/2022

परिशिष्ट - तीन

"ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी"

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं :-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

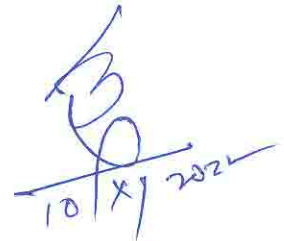
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं विधान सभा सचिवालय की वेबसाइट www.mpvidhansabha.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से देने हेतु सचिवालय बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
2. अभ्यर्थी स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
3. ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश :- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिंचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउण्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में सचिवालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
4. ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाय।
5. सचिवालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है यह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ

लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।

6. ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले Page पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ-साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त Page पर उपलब्ध Print को क्लिक कर आवेदन की रसीद का प्रिंट आउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर Payment Status में भुगतान की स्थिति के सामने Success अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. परीक्षा शुल्क वापसी योग्य नहीं है।

नोट :-

- i आवेदक रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें।
- ii जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- iii किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा सचिवालय को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- iv कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/ हैकिंग अथवा अन्य सायबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- v ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों की अमान्य करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जायेगी।



प्रवेश पत्र

- (1) प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किये जायेंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जायेगी।
- (2) प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे अपितु केवल सचिवालय की वेबसाइट <https://mpvidhansabha.nic.in/> पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब कि उसके पास सचिवालय द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।
- (4) अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मतदाता महचान पत्र/ पासपोर्ट/ ड्रायविंग लायसेंस/ पैन कार्ड/ आधार कार्ड/ स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/ स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/ जौब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/ सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी/ पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ डाकघर द्वारा जारी)/ छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कॉलेजों द्वारा जारी)/ बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/ संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे - पट्टा, पंजीकृत डिड्स/ एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/ फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/ शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (5) यदि प्रवेश पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर जांच अधिकारी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।


10/X/2022